अमरसिंह बनाम गोकुलराम वगै0
मु0नं0 86 / 2021
दावा अ0धा0 53, 188

दिनांक –14.06.2022 आज यह पत्रावली वकील वादी की ओर से मिसल तलबी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर "प्रशासन गांवों के संग अभियान फॉलोअप मेगा कैम्प पंचायत समिति सूरजगढ़ में तबल की गई। वादी की ओर से श्री अजय कुमार एड. की ओर से विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक दावा अंतिम डिकी किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सूरजगढ़ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन अंतिम डिकी किया जाकर विवादित भूमि ख.नं. 189 रकबा 1.45 है0 वाके मौजा बामनवास का विभाजन प्रस्ताव कमांक भू.अ./22/936 दिनांक 12.05.2022 में अंकितानुसार पक्षकारान को अलग अलग खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। उक्तानुसार पर्चा डिकी मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट सूरजगढ़
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

(संदीप चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़